


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 102/2025

उनवानी :- रामश्री बनाम बाबू व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम
11.02.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। सायला एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित। सायला ने प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया कि लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए मुकदमा को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। मुकदमा को खारिज कराना चाहते हैं। इसलिए मुकदमा नं. 102/2025 उनवानी रामश्री बनाम बाबू व अन्य प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को NOT PRESS में खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 17.06.2025 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्झो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी ( करौली )</p>